न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. : 04/2021 (2021/10)

अपीलार्थीपक्ष

1. तेजाराम पुत्र दुर्गाराम
2. धापूदेवी पत्नि भताराम
3. अशोक कुमार पुत्र भताराम
4. जगदीश कुमार पुत्र भताराम
5. छैलूदेवी पुत्री भताराम (अपीलांटस् संख्या 3 से 5 नाबालिग जरिए कुदरती वली माता धापूदेवी पत्नि भताराम)
6. चेतनराम पुत्र सैणाराम
7. ताराराम पुत्र सैणाराम

सभी जातियान् मेघवाल निवासीगण ग्राम सियांदा तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. हेमाराम पुत्र राणाराम
2. हरकू पत्नि राणाराम
3. पोकरराम पुत्र मेगाराम के कायम मुकाम

3/1. रमेश पुत्र स्व. पोकरराम
3/2. सुशीला पुत्री स्व. पोकरराम
3/3. विमला पत्नी स्व. पोकरराम
3/4. जगदीश पुत्र स्व. पोकरराम (नाबालिग जरिए कुदरती वली माता श्रीमति विमला पत्नी स्व. पोकरराम)
3/5. मुन्नीदेवी पुत्री स्व. पोकरराम (नाबालिग जरिए कुदरती वली माता श्रीमति विमला पत्नी स्व. पोकरराम)

4. आदूराम पुत्र मेगाराम

सभी जातियान् मेघवाल निवासीगण ग्रम– सियांदा तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर।

5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार शेरगढ़।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 1210 (1209) ग्राम सियांदा जो तहसीलदार शेरगढ़ द्वारा दिनांक 30.12.2020 को स्वीकृत किया गया।

———

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:19:21 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता श्री नाहर सिंह सोलंकी (अपीलार्थीपक्ष)।
2. अधिवक्ता श्री पुष्पेन्द्रसिंह भाटी (रेस्पो. संख्या 01 से 4)।

—: आदेष :— दिनांक :— 21.10.2021

अपीलान्ट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 नामान्तरकरण संख्या 1210 (1209) ग्राम सियांदा जो तहसीलदार शेरगढ़ द्वारा दिनांक 30.12.2020 को स्वीकृत किया गया, के विरूद्ध पेष की है। प्रस्तुत अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम का पेश किया है।

जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट्स की संयुक्त खातेदारी भूमि वाके ग्राम सियांदा पटवार हल्का सियांदा भू–अभिलेख निरीक्षक खिरंजा खास तहसील शेरगढ जिला जोधपुर के खसरा संख्या 215 रकबा 55.04 बीघा किस्म बारानी तृतीय, खसरा संख्या 250 रकबा 15.14 बीघा किस्म बारानी तृतीय, खसरा संख्या 272 रकबा 0.07 बीघा गै.मु. ढाणी, खसरा संख्या 273 रकबा 41.03 बीघा किस्म बारानी तृतीय कुल रकबा 112.08 बीघा आई हुई है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शेरगढ़ ने सभी सहखातेदारान् को मिले गए हिस्से एवं किए गए बंटवाड़े / विभाजन अनुसार मौके एवं भूमि की किस्म की ओर ध्यान दिए बिना ही तथा सड़क की तरफ स्थित भूमि जो कीमती है, उसका नियमानुसार विभाजन किये बिना तथा नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई एवं न ही सहखातेदारान् के आपस में आने–जाने के लिये उनकी ढाणियाँ एवं अपने हिस्से में आई भूमि में जाने के लिए रास्ते का ध्यान नहीं रखा गया तथा जो प्रस्तावित नक्शा सलंग्न किया गया उसके विपरीत बंटवाड़ा / विभाजन का आदेश पारित कर दिया। न्यायालय हाजा में उक्त बंटवाडे के विरूद्ध अलग से अपील पेश की गई जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार कर उक्त बंटवाडे को अपास्त किया जा चुका है। उक्त बंटवाडे के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 1210 (1209) ग्राम सियांदा जो तहसीलदार शेरगढ़ द्वारा दिनांक 30.12.2020 को स्वीकृत किया गया को निरस्त किया जाना आवश्यक है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

अपीलान्ट्स अभिभाषक द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट पक्ष को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट पक्ष की ओर से अधिवक्ता श्री पुष्पेन्द्र सिंह भाटी ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। तहसीलदार शेरगढ़ को मूल रेकर्ड के लिये लिखा गया। तहसीलदार शेरगढ़ से मूल रिकॉर्ड प्राप्त हुआ। प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बतलाया कि अपीलांटस् व रेस्पों की संयुक्त खातेदारी भूमि वाके ग्राम सियांदा पटवार हल्का सियांदा भू–अभिलेख निरीक्षक खिरंजा खास तहसील शेरगढ जिला जोधपुर के खसरा संख्या 215 रकबा 55.04 बीघा किस्म बारानी तृतीय, खसरा संख्या 250 रकबा 15.14 बीघा किस्म बारानी तृतीय, खसरा संख्या 272 रकबा 0.07 बीघा गै.मु. ढाणी, खसरा संख्या 273 रकबा 41.03 बीघा किस्म बारानी तृतीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:19:21 IST
Reason: SelfAttested

कुल रकबा 112.08 बीघा आई हुई है, जिसका तहसीलदार शेरगढ़ द्वारा बंटवाडा निम्न अनुसार किया गया हैः–

1. हेमाराम पुत्र राणाराम, हरकू पत्नी राणाराम जाति मेघवाल का हिस्सा खसरा संख्या 215 रकबा 13.16 बीघा किस्म बारानी तृतीय, खसरा संख्या 250 रकबा 3.18 बीघा किस्म बारानी तृतीय, खसरा संख्या 273 रकबा 10.08 किस्म बारानी तृतीय है।
2. पोकरराम, आदूराम पिता मेगाराम का हिस्सा खसरा संख्या 215/1 रकबा 13.16 किस्म बारानी तृतीय, खसरा संख्या 250/1 रकबा 3.18 किस्म बारानी तृतीय, खसरा संख्या 273/1 रकबा 10.08 किस्म बारानी तृतीय है।
3. तेजाराम पिता दुर्गाराम का हिस्सा खसरा संख्या 215/2 का रकबा 13.16 किस्म बारानी तृतीय, खसरा संख्या 250/2 रकबा 3.19 किस्म बारानी तृतीय, 273/2 रकबा 10.07 किस्म बारानी तृतीय है।
4. धापूदेवी पत्नि भताराम, अशोक कुमार, जगदीश कुमार पि. भताराम, छेलूदेवी पुत्री भतराम, चेतनराम, ताराराम पि. सैणाराम के हिस्से खसरा संख्या 215/3 रकबा 13.16 बीघा किस्म बारानी तृतीय, खसरा संख्या 250/3 रकबा 3.19 बिघा किस्म बारानी तृतीय, खसरा संख्या 272 रकबा 0.07 गै.मु.ढाणी, खसरा संख्या 273/3 रकबा 10.00 बीघा किस्म बारानी तृतीय है। उपरोक्त अनुसार बंटवाडा किया गया इससे स्पष्ट है कि तहसीलदार शेरगढ द्वारा विधि एवं नियमानुसार नही करके सभी सहखातेदारान् के हिस्से में आई भूमि के विभाजन में सडक की तरफ किसी खातेदार को अधिक भूमि दी गई, किसी को कम दी गई ऐसा करने का हक तहसीलदार को नही था तथा उक्त बंटवाडा में गलत तरीको से सहखातेदार अपीलांटस् तेजाराम पुत्र दुर्गाराम, धापूदेवी पत्नि भताराम, चेतनराम, ताराराम पुत्र सेणाराम के हिस्से में खराब जमीन दी गई तथा रेस्पोंडेन्ट पोकरराम पुत्र मेगाराम के अकेले को मुख्य सड़क के पास दी गई जो नियमो के विपरीत है एवं बंटवाडा मौके तथा कब्जे काश्त अनुसार नही किया गया एवं बंटवाडा उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर न करके सडके के समान्तर पूर्व से पश्चिम किया गया अर्थात् खडा/सीधे तौर पर नही किया गया एवं नियम 18 से 21 की पालना नही की गई संपूर्ण प्रकिया विधि विरूद्ध की गई एवं इस बंटवाडे में सभी सहखातेदारान् के हस्ताक्षर ही नही है और ना ही सहमत थे, बंटवाडा के समय नक्शे में अलग–अलग कलर/रंग नही दर्शाकर हल्का पटवारी द्वारा बाद में रेस्पों से मिलीभगत कर रेस्पों को फायदा देने के लिए चालाकी से गुप्त तरीको से मौके पर काबिज काश्त के विपरीत कार्यवाही की गई इतना ही नही खसरा संख्या 272 गै.मु. ढाणी 7 बिस्वा भूमि का भी सही अनुपात में सभी खसरान् में बहिस्सा बराबर नही किया गया, रकबा कम व अधिक खसरो में देने का हक व अधिकार तहसीलदार को नही था, फिर भी राजस्थान काश्तकारी अधि. 1955 की धारा 53(1) में बने प्रावधानो को अनदेखा किया गया, इसलिए शेरगढ द्वारा पारित बंटवाडा आदेश दिनांक 03.11.2020 को माननीय न्यायालय द्वारा अपास्त किया जा चुका है जिसकी पालना में यह नामान्तरकरण भरा गया है। अतः अपीलाधीन नामान्तरकरण को निरस्त किया जाकर अपील स्वीकार की जावे।

रेस्पोडेन्ट पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि तहसीलदार शेरगढ़ द्वारा स्वीकृत उक्त नामान्तरकरण को निरस्त कर अपील खारिज की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:49:21 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अपील का गुणावगुण पर निर्णय करने से पहले धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना–पत्र का निस्तारण करना उचित समझते है। अपीलांटस् द्वारा प्रस्तुत धारा 5 म्याद अधिनियम में अपील में हुई देरी का अपीलांटस् के पास न्यायोचित कारण होने तथा रेस्पोडेन्ट पक्ष द्वारा किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं करने से प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम का स्वीकार किया जाता है तथा अपील का गुणावगुण पर निर्णय इस प्रकार है कि न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण के कॉलम संख्या 14 में वर्णित बंटवाड़ा आदेश जो तहसीलदार शेरगढ द्वारा दिनांक 03.11.2020 को पारित किया गया तथा जिसकी पालना में अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया उसे अपास्त किया जा चुका है। अतः उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण को भी निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 1210 (1209) दिनांक 30.12.2020 ग्राम सियांदा जो तहसीलदार शेरगढ द्वारा स्वीकृत किया गया को निरस्त किया जाता है। आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

निर्णय आज दिनांक 21.10.2021 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:19:21 IST
Reason: SelfAttested